

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2022—फाल्गुन 13, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र प्रवेश राऊत (PRAVESH RAUT) की 10th की मार्कशीट (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) पर भूलवश पिता का नाम अनिल (ANIL) दर्ज हो गया है, जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड पर पिता का नाम अनिल राऊत (ANIL RAUT) दर्ज है, जो कि पूर्ण एवं सही है. अतः आज दिनांक से मेरे पुत्र की 10th की मार्कशीट (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) पर पिता का नाम अनिल राऊत (ANIL RAUT) लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(प्रवेश राऊत पिता अनिल)

(प्रवेश राऊत पिता अनिल राऊत)

(PRAVESH RAUT SON OF ANIL)

(PRAVESH RAUT SON OF ANIL RAUT)

पता— 218, उषा नगर मेन, इन्दौर (म.प्र.).

(G-316)

CHANGE OF NAME

I, Arwa Rajgarhwala W/o Huzefa Rajgarhwala here by declare that, I have Changed my name as Arwa S. Rajgarhwala W/o Huzefa Rajgarhwala so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

New Name

(Arwa Rajgarhwala)

(Arwa S. Rajgarhwala)

191, Khatiwala Tank, Indore (M.P.).

(G-317)

CHANGE OF SURNAME

I, Shelly Sharma here by declare that, my maiden name was Shelly Sharma D/o Uttam Kumar Sharma. After my marriage, I have changed my name as Shelly Chaturvedi W/o Naman Chaturvedi. So, from now and in future I will be known as Shelly Chaturvedi.

Old Name

(Shelly Sharma)
D/o Uttam Kumar Sharma

New Name

(Shelly Chaturvedi)
W/o Naman Chaturvedi
29, Soumrita Nagar, Khargone (M.P.).

(G-318)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर वशिष्ट सोनकर (Vashisht Sonkar) के स्थान पर सावन सोनकर (Saawan Sonkar) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सावन सोनकर (Saawan Sonkar) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवे.

पुराना नाम

(वशिष्ट सोनकर)

नया नाम

(सावन सोनकर)

पता- 66, लुनीयापुरा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-319)

CHANGE OF NAME

I, Archna Verma D/o Suresh Chandra Verma R/o. 17 New Umaria Colony, A,B. Road Mhow (M.P.), have changed my name as Archaana Verma for all purposes.

Old Name

(Archna Verma)

New Name

(Archaana Verma)

(G-320)

नाम परिवर्तन

मैं, चांदनी कोरी पुत्री श्री सुनील कुमार खजुरिया सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा घर का बोलता नाम शैजल खजुरिया था जो मेरे बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम चांदनी कोरी लिखा है, वर्तमान में मैं, चांदनी कोरी के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. चांदनी कोरी और शैजल खजुरिया दोनों मेरे ही नाम हैं भविष्य में भी मैं, चांदनी कोरी के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाऊंगी व हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम शैजल खजुरिया के स्थान पर चांदनी कोरी लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(शैजल खजुरिया)

नया नाम

(चांदनी कोरी)

पुत्री श्री सुनील कुमार खजुरिया,
पता- ऊषा कॉलोनी, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-321)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अशोक कुमार पंचरत्न (ASHOK KUMAR PANCHRATAN) पिता श्री रामदास जैन था, जो कि मेरी बैंक पासबुक में दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर अशोक जैन (ASHOK JAIN) पिता श्री रामदास जैन कर दिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम अशोक जैन (ASHOK JAIN) पिता श्री रामदास जैन के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(अशोक कुमार पंचरत्न)

(अशोक जैन)

(ASHOK KUMAR PANCHRATAN)

(ASHOK JAIN)

पिता- श्री रामदास जैन,

पता- 129, अंजनी नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-322)

उपनाम परिवर्तन

मैं, वंदना मिश्रा पत्नी श्री आलोक मिश्रा, उम्र 57 वर्ष, निवासी सरदार भगत सिंह वार्ड मण्डला, तहसील मण्डला (म.प्र.) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ कि :- यह कि मेरा विवाह पूर्व नाम कु. वंदना वत्स, आत्मज श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, निवासी भोपाल था जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है. मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से श्री आलोक मिश्रा, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा, निवासी सरदार भगत सिंह वार्ड मण्डला, तहसील मण्डला (म.प्र.) के साथ दिनांक 1-6-1993 को हुआ था. अब विवाह पश्चात् मैं वंदना मिश्रा, पत्नी श्री आलोक मिश्रा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. भविष्य में मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा नाम वंदना मिश्रा, पत्नी श्री आलोक मिश्रा अंकित किया जावे. यह शपथ-पत्र विवाह प्रमाण स्वरूप उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में विवाह पश्चात् उपनाम परिवर्तन प्रकाशित किया जा रहा है.

पुराना नाम

नया नाम

(वंदना वत्स)

(वंदना मिश्रा)

(G-323)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे 10वीं, 12वीं एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज में मेरे नाम कु. रेवती नायर (REVATI NAIR) पिता का नाम सत्यपाल मेनोन (SATHIAPAL MENON) अंकित हो गया है, जो गलत है, जबकि आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम मुल्लशेरी प्रभाकरन सत्यपाल (MULLASSERY PRABHAKARAN SATHIAPAL) दर्ज है, जो सत्य एवं सही है. अतः भविष्य में मुझे कु. रेवती नायर (REVATI NAIR) पिता का नाम मुल्लशेरी प्रभाकरन सत्यपाल (MULLASSERY PRABHAKARAN SATHIAPAL) से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(रेवती नायर)

(रेवती नायर)

(REVATI NAIR)

(REVATI NAIR)

पिता सत्यपाल मेनोन

पिता मुल्लशेरी प्रभाकरन सत्यपाल,

(SATHIAPAL MENON)

(MULLASSERY PRABHAKARAN SATHIAPAL)

(G-324)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम आशा देवी पंचरत्न (ASHA DEVI PANCHRATAN) पत्नी श्री अशोक जैन था, जो कि मेरी बैंक पासबुक में दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर आशा जैन (ASHA JAIN) पत्नी श्री अशोक जैन कर दिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है. अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम आशा जैन (ASHA JAIN) पत्नी श्री अशोक जैन के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(आशा देवी पंचरत्न)
(ASHA DEVI PANCHRATAN)

नया नाम

(आशा जैन)
(ASHA JAIN)
पत्नी श्री अशोक जैन
पता— 129, अंजनी नगर, इंदौर (म.प्र.).

(G-325)

उपनाम परिवर्तन

मैं, "MANA BAI AGARBATTIWALA" निवासी 28, गोनसा दरवाजा, उज्जैन को जानता हूँ, पूर्व में इनका नाम "MANA BAI" था तथा जो पूर्व में केवल "MANA BAI" के नाम से जानी जाती थी किन्तु अब उनके द्वारा अपने नाम के बाद अपना सरनेम "AGARBATTIWALA" लगाया जाता है जो अब "MANA BAI AGARBATTIWALA" के नाम से जानी व पहचानी जाती है. मेरे द्वारा इस बात का यह प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है.

पुराना नाम

(MANA BAI)

नया नाम

(MANA BAI AGARBATTIWALA)

(G-326)

नाम परिवर्तन

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं, प्रियंका नरवरिया, निवासी पहाड़ी बुजुर्ग, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश की निवासी हूँ. मेरी कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की अंकसूची में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम प्रभुदयाल नरवरिया एवं माता का नाम अनीता नरवरिया लेख है. जबकि मेरे पिता का सही नाम प्रभुदयाल खटीक एवं मेरी माता का सही नाम अनीता खटीक है.

अतः मेरा नाम प्रियंका नरवरिया (PRIYANKA NARVARIYA) एवं मेरे पिता का नाम प्रभुदयाल खटीक (PRABHU DAYAL KHATIK) एवं माता का नाम अनीता खटीक (ANITA KHATIK) ही पढ़ा एवं समझा जावे.

सही नाम

प्रियंका नरवरिया
(PRIYANKA NARVARIYA)

पिता— प्रभुदयाल खटीक
(PRABHU DAYAL KHATIK)

माता— अनीता खटीक
(ANITA KHATIK)

निवासी— पहाड़ी बुजुर्ग, तहसील लिधौरा,
जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश.

(G-327)

CHANGE OF NAME

I, Atharv Shrivastav S/o Sandeep Shrivastav, here by declare that my name recorded on school certificate as Atharv Shrivastav and in passport as Atharva Shrivastava. I have changed my name to Attharv Shrivastav so from now and in future I will be known by my new name Attharv Shrivastav S/o Sandeep Shrivastav.

Address:- A-29, Chandra Nagar, Indore (M.P.).

(G-328)

नाम परिवर्तन

मैं, एतद्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं आकांक्षा नरवरिया, निवासी पहाड़ी बुजुर्ग, तहसील लिधौरा, जिला-टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की निवासी हूँ, मेरी कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की अंकसूची में त्रुटिवश मेरे नाम की स्पेलिंग **ANKANSHA NARVARIYA** अंकित है। जबकि मेरे नाम की सही स्पेलिंग **AKANSHA NARVARIYA** है तथा मेरे पिता का नाम प्रभुदयाल नरवरिया एवं माता का नाम अनीता नरवरिया लेख है। जबकि मेरे पिता का सही नाम प्रभुदयाल खटीक एवं मेरी माता का सही नाम अनीता खटीक है।

अतः मेरा नाम आकांक्षा नरवरिया (**AKANSHA NARVARIYA**) एवं मेरे पिता का नाम प्रभुदयाल खटीक (**PRABHU DAYAL KHATIK**) एवं माता का नाम अनीता खटीक (**ANITA KHATIK**) ही पढ़ा एवं समझा जावे।

सही नाम

(आकांक्षा नरवरिया)
(**AKANSHA NARVARIYA**)
पिता-(प्रभुदयाल खटीक)
(**PRABHU DAYAL KHATIK**)
माता-(अनीता खटीक)
(**ANITA KHATIK**)
निवासी-पहाड़ी बुजुर्ग, तहसील लिधौरा,
जिला-टीकमगढ़ म. प्र.

(G-329)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु मैं, रितिक पठारिया (**RITIK PATHARIA**) घोषणा करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम रितिक कुमार पठारिया (**RITIK KUMAR PATHARIA**) था। जिसे परिवर्तित करते हुए मैंने अपना नाम रितिक पठारिया (**RITIK PATHARIA**) कर लिया है। जो कि सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम रितिक पठारिया (**RITIK PATHARIA**) से ही जाना व पहचाना जावे साथ ही सभी शासकीय रिकार्ड एवं दस्तावेजों में रितिक पठारिया (**RITIK PATHARIA**) ही अंकित समझा जावे।

पुराना नाम

(रितिक कुमार पठारिया)
(**RITIK KUMAR PATHARIA**)

(G-330)

नया नाम

(रितिक पठारिया)
(**RITIK PATHARIA**)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता कृ. हिमांशु उइके पिता धरम सिंह उइके, उम्र 29 वर्ष जाति गौड़, निवासी ग्राम-बिछिया वार्ड क्रमांक-10, तहसील बिछिया, जिला-मण्डला की स्थाई निवासी निम्न कथन शपथपूर्वक करती हूँ कि मैं उक्त पते की निवासी हूँ एवं मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम हिमांशु उइके लिखा गया है जिसमें अपनी स्वेच्छा से हिमांशी उइके करना चाहती हूँ, इस तरह इंग्लिश में **HIMANSHU UIKEY** है जिसे मैं **HIMANSHI UIKEY** करना चाहती हूँ, मुझे हिमांशी उइके के नाम से लिखा-पढ़ा व समझा जाने हेतु यह शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ।

पुराना नाम

(हिमांशु उइके)
(**HIMANSHU UIKEY**)

(G-331)

नया नाम

(हिमांशी उइके)
(**HIMANSHI UIKEY**)
पता-ग्राम-बिछिया, वार्ड क्रमांक-10,
तहसील बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

It is to inform to all that before marriage my name was MRS. SUKH BAL JIT KAUR SANDHU and after marriage my name changed and I known as MRS. RAJ HARINDER wife of HARINDER JEET SINGH. MRS. SUKH BAL JIT KAUR SANDHU and MRS. RAJ HARINDER both are same person. So now Onwards I will be known by My New Name MRS. RAJ HARINDER Wife of HARINDER JEET SINGH.

Old Name

New Name

(SUKH BAL JIT KAUR SANDHU)**(RAJ HARINDER)**

House No 11 MIG Jawahar Nagar, Dewas

(G-332)

नाम परिवर्तन

मैं, मिथलेश रावत पत्नी स्व. श्री शिवराज रावत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का बोलता नाम श्रीमती ललिता रावत था मेरे पति श्री शिवराज रावत के बीमा पॉलिसी क्रमांक 203675743 दिनांक 15-01-2011 को ली गई थी. जिसमें मेरा नाम वारिस (नोमीनेशन) के रूप में श्रीमती ललिता रावत गलती से लिखा गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मिथलेश रावत पत्नी श्री शिवराज रावत लिखा गया है जो पूर्ण रूप से सत्य है. अतः मेरे पति की दिनांक 24-12-2020 को मृत्यु हो गई थी. अतः उक्त पॉलिसी के मृत्यु दावा राशि का भुगतान मेरे पक्ष में किया जाना है. अतः मेरे पति की बीमा पॉलिसी 203675743 में मेरा नाम श्रीमती ललिता रावत के स्थान पर मिथलेश रावत लिखा एवं पढ़ा जावे. अगर किसी आमजन को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के सात दिवस के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय मुरैना अथवा नीचे लिखे पते पर मय साक्ष्य के दर्ज कराएं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

नया नाम

(ललिता रावत)**(मिथलेश रावत)**

पत्नी स्व. श्री शिवराज रावत,

निवासी ग्राम व पोस्ट झुण्डपुरा,

तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-333)

CHANGE OF NAME

After the press release myself Swami Sarvatmanada Giri, previously known as Sunita Joshi, daughter of Late Sri G.N. Joshi and Smt. Hemlata Joshi having been ordained as a monk through Naishthika Sannyasa initiation from Swami Prajnanananda Giri on February 20, 2012, at the premises of Hariharananda Gurukulam Balighai, Puri Orissa.

I hereby solemnly declare to abandon the use of my former name so hereafter may be called, known and distinguished not by my former name Sunita Joshi, but my assigned name Swami Sarvatmananda Giri.

I request all person in general, relatives and friends in particular, at alltimes hereafter to designate and address me as Swami Sarvatmananda Giri.

Old Name

New Name

(SUNITA JOSHI)**(SWAMI SARVATMANANDA GIRI)**

(G-334)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टाट एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में मेरा नाम त्रुटिवश रामलाल हो गया है, जिसका पॉलिसी नंबर C243495320 जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम रामू पिता किशन मालवीय नाम से है. अतः मुझे रामू पिता किशन मालवीय नाम से जाना जाए एवं पॉलिसी में भी मेरा नाम रामू पिता किशन मालवीय नाम से किया जाए इस संबंध में यह जाहिर सूचना दी जा रही है.

पुराना नाम
रामलाल मालवीय

नया नाम
रामू मालवीय
वार्ड 11, ईमलीपुरा, राजपुर,
बड़वानी (म.प्र.)-451447

(G-335)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय अभिलेख में मेरा नाम रामचरण सोनिया पिता स्व. श्री मदनलाल सोनिया, निवासी फ्लेट नं. 405, ब्लॉक नं. बी-1 प्राईड सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल (म. प्र.) अंकित किया गया है. जबकि मेरा वास्तविक नाम रामचरण मेहरा पिता स्व. श्री मदनलाल मेहरा, निवासी फ्लेट नं. 405, ब्लॉक नं. बी-1, प्राईड सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल (म. प्र.) है. अब मुझे भविष्य में रामचरण मेहरा पिता स्व. श्री मदनलाल मेहरा के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम
रामचरण सोनिया
स्व. श्री मदनलाल सोनिया
(G-336)

नया नाम
रामचरण मेहरा
स्व. श्री मदनलाल मेहरा

आम-सूचना

मैं, प्रदीप कुमार जैन पिता श्री प्रेमचंद्र जैन, जन्मतिथि 1-3-1981, व्यवसाय-सहायक प्राध्यापक, निवासी बी-303, अनमोल आशियाना, स्वामी विवेकानंद वार्ड, एकतानगर, जबलपुर (म. प्र.) आज दिनांक को जबलपुर में शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि - मैं (म. प्र.) चिकित्सा विभाग के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ, मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों व सेवा अभिलेख में मेरा नाम प्रदीप कुमार पिता श्री प्रेमचंद्र दर्ज है, जो कि मेरा अधूरा नाम व मेरे पिता का गलत नाम दर्ज है. मेरा पूरा नाम प्रदीप कुमार जैन है, जो कि सही व सत्य है, मेरे पिता का नाम प्रेमचंद्र जैन है, जो कि सही व सत्य है, मेरे सेवा अभिलेख एवं अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सरनेम "जैन" व पिता का नाम "प्रेमचंद्र जैन" दर्ज किया जावे. अब मुझे मेरे पूरे नाम प्रदीप कुमार जैन पिता श्री प्रेमचंद्र जैन के नाम से जाना-पहचाना, समझा-लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
प्रदीप कुमार
पिता श्री प्रेमचंद्र
(G-337)

नया नाम
प्रदीप कुमार जैन
पिता श्री प्रेमचंद्र जैन

नाम परिवर्तन

मुझ शपथग्रहिता द्वारा यह प्रस्तुत करते हुए सत्य घोषणा की जाती है कि मेरा नाम पूर्व में मोहम्मद मुनवर था, तथा अब मैं, अपना नाम मोहम्मद मुनवर शेख पिता मोहम्मद युसुफ शेख समस्त शासकीय दस्तावेजों में लिख रहा हूँ तथा मेरे सभी परिचित दोस्त व रिश्तेदार आदि अब मुझे समाज में इसी नाम से जानते हैं.

पुराना नाम
(मोहम्मद मुनवर)
पिता मोहम्मद युसुफ

नया नाम
(मोहम्मद मुनवर शेख)
पिता मोहम्मद युसुफ शेख
पता-सेक्टर डी-5, ईलियास कॉलोनी,
खजराना, इन्दौर (म. प्र.).

(G-338)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम दिव्या चिमनानी पिता महेश चिमनानी (Divya Chimnani D/o Mahesh Chimnani) था. जो पूर्व कि मार्कशीट जैसे हाईस्कूल एवं आधार कार्ड व वोटर कार्ड पर दर्ज है. पर शादी के बाद मेरा नाम बदलकर नाएशा नेभराणी पति पंकज नेभराणी हो गया है. उपरोक्त दोनों नाम दिव्या चिमनानी एवं नाएशा नेभराणी एक ही महिला अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम नाएशा नेभराणी पति पंकज नेभराणी (Naisha Nebhrani W/o Pankaj Nebhrani) से ही जाना व पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(दिव्या चिमनानी)

(नाएशा नेभराणी)

निवासी : M 424, खातीवाला टैंक, इंदौर

(G-339)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम “भारती काकवानी पुत्री श्री द्वारकादास काकवानी” है, विवाहोपरान्त मेरा नाम परिवर्तित होकर “हितांशी तलरेजा पति श्री अमित तलरेजा” हो गया था. विवाह विच्छेद के पश्चात् पुनः “भारती काकवानी पुत्री श्री द्वारकादास काकवानी” के नाम का उपयोग समस्त शासकीय कार्यवाहियों में करूंगी.

पुराना नाम

नया नाम

(हितांशी तलरेजा)

(भारती काकवानी)

पति श्री अमित तलरेजा
निवासी-8, न्यूसंचार नगर, इंदौर
(म. प्र.).

पिता द्वारकादास काकवानी
निवासी : ए-5 प्रकृति नगर कॉलोनी,
बिचौली हप्पी रोड, कैलौरी जीम, इंदौर
(म. प्र.).

(G-340)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम आपूर्ति पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल होते हुये समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है जो विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर श्रीमती आपूर्ति रावत पत्नी श्री राहुल रावत हो गया है जिसे समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज/मान्य करते हुये मुझे परिवर्तित नाम से जाना पहचाना जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(आपूर्ति पटेल)

(आपूर्ति रावत)

पिता श्री कृष्ण कुमार पटेल

पति श्री राहुल रावत
निवासी-राम मंदिर के पास, रावत मोहल्ला
पथरोटा, तहसील-इटारसी,
जिला होशंगाबाद (म. प्र.)

(G-341)

आम सूचना

मैं, राजू अहिरवार पिता स्वर्गीय टिकई लाल अहिरवार उम्र 61 वर्ष व्यवसाय सेवानिवृत्त, निवासी मकान नम्बर 738, व्ही.एफ.जे. रामनगर रांझी तहसील रांझी व जिला जबलपुर (म.प्र.) में निवास करता हूँ, यह कि मेरे शासकीय सर्विस रिकार्ड (सेवा पुस्तिका पी.पी.ओ.) में मेरा नाम राजू चमार पिता स्व. टिकई चमार दर्ज है. उक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के हैं. दोनों ही नामों से मुझे जाना पहचाना जाता है. यह कि मेरी सेवा पुस्तिका/पी.पी.ओ. में राजू चमार पिता टिकई चमार के स्थान पर राजू अहिरवार पिता टिकई लाल अहिरवार दर्ज किया जावे. तथा मुझे राजू अहिरवार पिता टिकई लाल अहिरवार के नाम से जाना व पहचाना जावे. सर्विस रिकार्ड/सेवा पुस्तिका व पी.पी.ओ. में नाम सुधार करने की कृपा करें.

पुराना नाम
राजू चमार
पिता टिकई चमार

नया नाम
राजू अहिरवार
पिता टिकई लाल अहिरवार

(G-342)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु मैं, राजेश कुमार ठाकुर घोषणा करता हूँ कि, मेरा घर का नाम मुकेश सिंह (Mukesh Singh) है जो कि मेरी पुत्री कुमकुम सिंह के पिता के नाम के स्थान पर उसके सभी शासकीय तथा अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज हो गया है, किन्तु मेरा वास्तविक नाम राजेश कुमार ठाकुर (Rajesh Kumar Thakur) है जो कि सही व सत्य है तथा भविष्य में मेरी पुत्री के पिता का नाम मुकेश सिंह के स्थान पर राजेश कुमार ठाकुर लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

कुमकुम सिंह पिता मुकेश सिंह
Kumkum Shingh D/o Mukesh Shingh
(G-343)

कुमकुम सिंह पिता राजेश कुमार ठाकुर
Kumkum Shingh D/o Rajesh Kumar thakur

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार 1. Mr. Shahid Ahmed 2. Mr. Sharjeel Khan 3. Mr. Ranveer Singh Thakur द्वारा M/s MERAJ INFRASTRUCTURES फर्म के साझेदारों के निर्देशानुसार सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाये भोपाल में पंजीयन क्र. 01-01-01-0312-19 दिनांक 05-12-2019 है, जिसमें कि 1. Mr. Mukesh Thakur निवासी 20/1, Piplani, Khajuri Kurd, Kokta, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh, 462022 दिनांक 02-02-2022 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी प्रकार का संबंध नहीं है. साथ ही फर्म में दिनांक 02-02-2022 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है फर्म में 1 (एक) नये भागीदारों को सम्मिलित/शामिल किया गया Mr. Ranveer Singh Thakur निवासी Khajuri Kurd, Piplani, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh, 462021 है भागीदारी संशोधन विलेखानुसार सम्मिलित/शामिल साझेदारों को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे.

अतः सर्वसाधारण को सूचित हों.

अधिवक्ता

द्वारा एन. के. साहू
एफ-9, एलाईड काम्पलेक्स,
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल

(G-344)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स-साई बिल्डर्स, जो 05, सूर्या टावर, पुराने हाईकोर्ट के पास लश्कर ग्वालियर (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00046-13, पंजीयन दिनांक 31-05-2013 में भागीदार क्र. (1) श्री रितेश गुप्ता पुत्र श्री महेश चंद गुप्ता (2) श्री मनोज गुलाटी पुत्र श्री जे. एन. गुप्ता (3) श्री राजेश अरोरा पुत्र स्व. श्री धल्लाराम जी अरोरा थे उक्त तीनों भागीदार दिनांक 15-12-2021 को अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से पृथक हो रहे हैं व दिनांक 15-12-2021 को नए भागीदार क्र. (1) श्री आदित्य गुप्ता पुत्र श्री मुकेश गुप्ता (2) श्री श्रीकृष्ण राजौरिया पुत्र श्री लीलाधर राजौरिया (3) श्री मधुर मित्तल पुत्र श्री कैलाश चंद्र मित्तल (4) श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री कमलेश कुमार अग्रवाल (5) श्री अशोक अग्रवाल पुत्र श्री दाउ दयाल अग्रवाल (6) श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री कमलेश कुमार अग्रवाल (7) श्री उमंग अग्रवाल पुत्र श्री प्रमोद अग्रवाल (8) श्री राजेन्द्र बचानी पुत्र श्री पारस राम बचानी सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

राजकुमार कुकरेजा

पार्टनर

(G-345)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मनसुख फूड प्रोडक्ट्स ग्राम आम चौपरा जबलपुर रोड़ दमोह म.प्र. पंजीयन क्रमांक 06-10-01-00162-13 सन् 2012-2013 दिनांक 19-02-2013 पर पंजीकृत है. उक्त फर्म में पंजीयन के समय Sewant Kumar Jain S/o Late Munsukh Lal Jain, Harshad Kumar Jain, Kalpesh Kumar Jain, Bhavik Kumar Jain and Ketan Kumar Jain भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 01-4-2020 को Vandana Jain and Bhavna Jain को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया और उसी दिनांक 1-4-2020 को Bhavik Kumar Jain and Kalpesh Kumar Jain को फर्म के भागीदारी से पृथक हो गये. Sewant Kumar Jain के नाम का स्पेलिंग गलत था. उक्त संशोधित डीड में Sevant Kumar Jain का नाम सही कर दिया गया है. फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है.

सेवंत कुमार जैन (भागीदार)

फर्म-मेसर्स मनसुख फूड प्रोडक्ट्स

ग्राम आम चौपरा, जबलपुर रोड़, दमोह, म.प्र.

(G-346)

आम सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि श्री गोसाई इन्टरप्राइजेज, 15 न्यू तुलसी बिहार कॉलोनी, सेवा नगर, जिला-ग्वालियर म.प्र. में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0266-21 व पंजीयन दिनांक 12 नवम्बर 2021 है, उक्त फर्म में दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को श्रीमती सुनीता वेलेकर पत्नी श्री परमेश्वर वेलेकर, आयु-50 वर्ष निवासी-फ्लैट नं. 23, प्लॉट नं. 104-105, अभिमन्यू अपार्टमेंट, ई-7, अरेरा कॉलोनी, एल.एल.आर. सोसायटी, हुजूर, भोपाल म.प्र. 462016 इस फर्म में भागीदार-3 के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, जिसकी सूचना सर्वसाधारण को प्रस्तुत है.

श्री गोसाई इन्टरप्राइजेज

श्रीमती सीमा साहू-पार्टनर 1

नवीन साहू-पार्टनर 2

श्रीमती सुनीता वेलेकर-पार्टनर 3

(G-347)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स द स्काई लाईन्स रियल इस्टेट भोपाल भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन श्री अजय दुबे एवं श्रीमती सोनिका दुबे व अर्जुन शुक्ला के मध्य पंजीयन क्र. 443 दिनांक 20-02-1997 पर पंजीयत फर्म है जिसका पंजीकृत पता : 148, मालवीय नगर, भोपाल म.प्र. है. श्री अजय दुबे का दिनांक 22-4-2021 को निधन होने से डीड दिनांक 27-01-2022 द्वारा श्री अजय दुबे दिनांक 22-04-2021 को फर्म से पृथक हो गये एवं श्रीमती सोनिका दुबे एवं श्री अर्जुन शुक्ला अपने स्वयं की इच्छा से भागीदारी फर्म से पृथक हो गये एवं श्रीराम तिवारी एवं श्री अमृताष तिवारी को नये भागीदार के रूप में फर्म में शामिल किया गया. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

श्री श्रीराम तिवारी (भागीदार)

मेसर्स द स्काई लाईन्स रियल इस्टेट, भोपाल
148, मालवीय नगर, भोपाल म. प्र.

(G-348)

इश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जे. वी. आई. स्टोन क्रेसर पंजीयन क्रमांक 05-24-04-0001-21 है. फर्म में तीन पार्टनर 1. सैय्यद जाफर अब्बास, 2. मो. इसरत खान, 3. वीरेन्द्र द्विवेदी थे. परन्तु फर्म में पार्टनर सैय्यद जाफर अब्बास 18-04-2021 को फौत हो गये. जिस वजह से फर्म में उनके पुत्र जरगाम जाफर सैय्यद को इसी फर्म की नई डीड में जो कि दिनांक 19-1-2022 को बाकी साझेदार 1. वीरेन्द्र द्विवेदी, 2. मो इसरत खान की उपस्थिति एवं सहमति से बनाई गई उसमें शामिल किया जाता है. फर्म में फौत हुये सैय्यद जाफर अब्बास का पिछला कोई लेना देना शेष नहीं है. फर्म की नई डीड जो 19-01-2022 को साझेदारों की सहमति से बनाई गई है. इसको लेकर किसी को भी शिकायत या आपत्ति हो तो निम्न पते पर 15 दिवस के अंदर दर्ज कर सकते हैं.

जरगाम जफर

(भागीदार)

पता-जे. वी. आई. स्टोन क्रेसर ग्राम बांका, तहसील
चंदिया, जिला उमरिया (म. प्र.)

(G-349)

NOTICE

Through this public notice it is brought to the notice to general public that the partnership firm M/S. DHAR GAS COMPANY, 55 Basant Vihar Colony Dhar, (M.P.) and Registration No. is 03-28-01-0278-13. Between the partners 1. Mrs. Reema Nahta, 2. Mr. Devendrapal Singh stands dissolved on and from 30-11-2021 After the Above date 30-11-2021, no Claim of Whatsoever nature Would be entertained against the partnership firm M/S. DHAR GAS COMPANY or against any of its partners for any act done in the name of the partnership by any of its partners or their heirs, successors, executors, and administrators etc.

Mrs. Reema Nahta

Partner

M/S. DHAR GAS COMPANY

(G-350)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक-0001-वी-113(1)-2020-21 दिनांक 11 फरवरी 2022

एतद द्वारा समस्त नगर/ग्राम वासी टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेश कुमार विश्वकर्मा तनय श्री गुन्दीलाल विश्वकर्मा(सिवा निवृत्त अधिकारी) मिश्रा पेट्रोल पम्प के सामने अनंतपुरा झॉसी रोड टीकमगढ़ कार्यकारी न्यासी श्री श्री 1008 श्री विश्वकर्मा धर्म सेतु लोकन्यास टीकमगढ़ द्वारा आवेदन में वर्णित न्यास/न्यासीगण एतद द्वारा म0प्र0लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत "श्री विश्वकर्मा मंदिर एवं विवेकशील समाज धर्म सेतु लोकन्यास, पारागढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़ के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है अन्तर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शित अचल सम्पत्ति एवं परिशिष्ट-2 में दर्शित चल सम्पत्ति के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ती हो वह अपनी आपत्ती स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 28.02.2022 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज जारी

परिशिष्ट-1

(लोक न्यास ओर अचल सम्पत्ती का विवरण)

लोक न्यास का नाम :-

"श्री विश्वकर्मा मंदिर एवं विवेकशील समाज धर्म सेतु लोकन्यास पारागढ़"

अचल सम्पत्ती:-

निरंक

(1)श्री विश्वकर्मा भगवान का पक्का जगमोहन,परिक्रमा एवं हॉल मंदिर के अन्दर (2) धर्मशाला कमरे पक्के तीन (3) बरामदा शेड वाला एक (4) मंच पक्का एक,(5) मंच कच्चा एक (6) पक्का चबूतरा एक (7) पानी की पक्की होदी एक(8) चबूतरा पक्का बड़ा एक (9) चबूतरा कच्चा एक (10) वोरवेल एक (11) वाउन्डी वाल (12) मुख्य द्वार दो।

परिशिष्ट-2

(चल सम्पत्ती का विवरण)

चल सम्पत्ती:-

क्र	चल सम्पत्ति	अनुमानित मूल्य	क्र.	चल सम्पत्ति	अनुमानित मूल्य
1	भगवान की प्रतिमा बड़ी एक	10,000/-	2	पीतल की प्रतिमा एक	5,000/-
3	आरती की मशीन मोटर सहित	5,000/-	4	अलमारी लोहे की एक	1800/-
5	पंलग पेट्री लोहे की एक	1200/-	6	पंलग लोहे का एक	1000/-
7	गैस चूला एक	1000/-	8	सिलेडर एक	1500/-
9	किचिन के वर्तन	2000/-	10	मंदिर का कल्सा एक	5,000/-
11	सम्मरसेविल पानी की मोटर एक	1500/-	12	सिन्टेक्स टंकी एक	3,000/-
13	पंखे चार	4,000/-	14	हेलोजन लाईट एक	1,000/-
15	लोहे की हवन कुण्डी चार	4,000/-	16	कड़ाई लोहे की एक	1,000/-
17	लाउडस्पीकर एक	5,000/-	18	चेनल गेट लोहे का 1	3,000/-
19	लोहे के फाटक तीन जोड़ी	3,000/-	20	लोहे की सीड़ी एक	1,000/-
21	ढोल, मजीरा, हरमोनिया सेट-1	1,000/-	22	लोहे के गेट-2	2,000/-
23	लोहे का गेट टूटा एक	1,000/-	24	सिंगल फाटक एक	1,000/-

सौरभ मिश्रा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),

(G-351)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक- 0003/बी-113(1)/2020-21
प्रारूप चार
विज्ञप्ति

(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास
नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत।

दिनांक 31.1.2021 को जारी

जैसा कि श्री श्यामलाल पिता बलिराम करझले, निवासी ग्राम हीरापुरा तहसील एवं
जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन
करने हेतु म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र
प्रस्तुत किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा
न्यायालय में दिनांक 14.2.2022 को विचार किया जायगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई
आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के
भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा
अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति
के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का
नाम एवं पता

“ श्रीराम जानकी मंदिर ट्रस्ट हीरापुर ” तहसील एवं
जिला खण्डवा

चल संपत्ति

50,000/- बैंक खाते में जमा

अचल संपत्ति

ग्राम हीरापुरा भूमि खसरा क्रमांक 146, 146 एवं उड़ान
खसरा क्रमांक 371/579 रकबा क्रमशः 1.17, 4.61, 0.10 कुल
रकबा 5.88 हे., श्रीराम जानकी मंदिर हीरापुर, प्रबंधक कलेक्टर
महोदय, खण्डवा भूमि स्वामी

प्रकरण क्रमांक— 0004 / बी-113(1) / 2021-22

प्रारूप चार

विज्ञप्ति

(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत।

दिनांक 31.1.2021 को जारी

जैसा कि श्री लक्ष्मीनारायण पिता भाईराम चौधरी निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 14.2.2022 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता

भगवान देवनारायण गुर्जर समाज मांगलिक भवन न्यास
ग्राम सिरपुर तहसील व जिला खण्डवा

चल संपत्ति

8 लाख नगदी (शब्दों में आठ लाख रुपये)

अचल संपत्ति

निरंक

अरविंद कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक

(G-353)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, जिला दमोह

प्रारूप क्रं. 04

(देखे नियम 5(1))

सूचना पत्र

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा)

लोक न्यासों के पंजीयक दमोह जिला दमोह के समक्ष

यतः श्री देव शंकर जी ग्राम चंदौरा ट्रस्ट की ओर से रामनाथ पिता बनवारी लाल पटैल निवासी चंदौरा तहसील व जिला दमोह के द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर दिनांक 28.02.2022 को 02:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची:-

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)
श्री देव शंकर जी ग्राम चंदौरा ट्रस्ट की ओर से
रामनाथ पिता बनवारी लाल पटैल निवासी चंदौरा
तहसील व जिला दमोह

मौजा चंदौरा तहसील व जिला दमोह खसरा
नंबर 93 रकवा 2.92 खसरा नंबर 142 रकवा
0.22 कुल रकवा 3.14

गगन बिसेन, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-354)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सह. समितियाँ, जिला सीहोर
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत)

दिनांक 15 फरवरी 2022

क्र.-परि.-2022- :- उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के उल्लेखित आदेशों के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्राथ.गुरुआ बाबा आदि.मछुआ सह.संस्था मर्या., मंजीखेड़ी, जिला सीहोर.	1713/16-08-13	क्र.-परि-20-1070/27-06-2020
2.	प्राथ.अनु.जाति मछुआ सह.संस्था मर्या., पॉचापुरा, जिला सीहोर.	1510/27-06-20	क्र.-परि-20-1073/27-06-2020
3.	प्राथ.मछुआ उत्पा. सह.संस्था मर्या., सलकनपुर, जिला सीहोर.	1338/25-11-06	क्र.-परि-21-445/18-05-2021
4.	दुग्ध उत्पा.सह.संस्था मर्या., घोघरा, जिला सीहोर	1671/29-09-12	क्र.-परि-21-444/18-05-2021
5.	दुग्ध उत्पा.सह.संस्था मर्या., मंडी, जिला सीहोर	1665/29-02-15	क्र.-परि-21-862/08-10-2021
6.	दुग्ध उत्पा.सह.संस्था मर्या., चीच, जिला सीहोर	1626/27-09-12	क्र.-परि-21-863/08-10-2021

अतः, मैं, एन.एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एन. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-355)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2022—फाल्गुन 13, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)